न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्र. /51 /2017-18/अ-20(3)/नजूल

ग्राम अहेरा तहसील पोहरी की भूमि सर्वे नं. 356, 365, 366, 383, 471, 148, 174, 177, 45, 96, 279, 301, 302, 307, 352, 642, 643, 655, ग्राम सिकन्दपुरा भूमि सर्वे नंबर 67/1, 227 को लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनविभाग की भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण उसके ऐवज में प्रतिपूरक भूमि वनविभाग को हस्तांतरण करने बावत्।

// आदेश //

(आज दिनांक 18-12-2017 को पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, राजघाट बांई नहर वितरण संभाग छनियाधाना के पृष्ठांकन क्रमांक 759/ कार्य/ लो.ओर.परि./ 2017 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा शिवपुरी जिले में लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना शिवपुरी से जिला शिवपुरी एवं दतिया की 90.000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु योजना तैयार की गई जिसके डूब क्षेत्र में 968.24 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने से सिंचाई सुविधा में कमी आई है अतः क्षेत्र का जीवनस्तर उठाने हेतु भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.03.17 को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें वनभूमि 968.24 हेक्टेयर के बराबर प्रतिपूरक राजस्व भूमि के डायवर्सन एवं स्थानांतरण की शर्त रखी गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शिवपुरी जिले में उपलब्ध राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने की मांग की गई है।

प्रस्तावित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2017 में उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार पोहरी की ओर से प्राप्त प्रकरण में ग्राम अहेरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 356, 365, 366, 383, 471, 148, 174, 177, 45, 96, 279, 301, 302, 307, 352, 642, 643, 655, कुल किता 18 कुल रकबा 409.79 हेक्टेयर तथा ग्राम सिकन्दपुरा के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 67/1 कुल रकबा 48.66 हेक्टेयर में से 44.96 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 227 कुल रकबा 16.82 हेक्टेयर में से 7.35 हेक्टेयर रकबा कुल किता 2 कुल रकबा 52.31 हेक्टेयर भूमि अर्थात ग्राम अहेरा के कुल किता 18 रकबा 409.79 हेक्टेयर एवं ग्राम सिकन्दपुरा के कुल किता 2 कुल रकबा 52.31 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित रूप में कुल किता 20 कुल रकबा 462.10 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को लोअर ओर परियोजना के डूब क्षेत्र में वन भूमि जाने के कारण प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है। अतः तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा सहित मूलतः प्रेषित

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय भूमि ग्राम अहेरा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 356, 365, 366, 383, 471, 148, 174, 177, 45, 96, 279, 301, 302, 307, 352, 642, 643, 655, कुल किता 18 कुल रकबा 409.79 हेक्टेयर तथा ग्राम सिकन्दपुरा के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 67/1 कुल रकबा 48.66 हेक्टेयर में से 44.96 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 227 कुल रकबा 16.82 हेक्टेयर में से 7.35 हेक्टेयर रकबा कुल किता 2 कुल रकबा 52.31 हेक्टेयर भूमि अर्थात ग्राम अहेरा के कुल किता 18 रकबा 409.79 हेक्टेयर एवं ग्राम सिकन्दपुरा के कुल किता 2 कुल रकबा 52.31 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित रूप में कुल किता 20 कुल रकबा 462.10 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को लोअर ओर परियोजना के डूब क्षेत्र में वन भूमि जाने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग शिवपुरी को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कण्डिका 36 के तहत निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित की जाती है :-

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे, किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अक्श नक्शा भी आदेश का भाग होगा। तहसीलदार पोहरी आवंटित भूमि का खसरे में अमल करायें एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करावें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 51 /16-17/ अ-20(3)/नजूल/2017/
शिवपुरी दिनांक 18 / 12 /2017

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री राजघाट बाई नहर वितरण संभाग खनियाधाना जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. तहसीलदार पोहरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
8. वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.